न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – अशोक कुमार योगी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 61/2023

अपीलान्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1 खेमाराम पुत्र भैराराम जाति जाट निवासी मोतीनाथपुरा तहसील खींवसर जिला नागौर।		तहसीलदार खींवसर
2 निम्बाराम पुत्र भैराराम जाति जाट निवासी मोतीनाथपुरा तहसील खींवसर जिला नागौर		

उपस्थिति :–

1. श्री नरेन्द्र सारस्वत अधिवक्ता अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

दिनांक: 14.02.2024

निर्णय

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट्स ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, खींवसर द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 01/2023 सरकार बनाम खेताराम में निर्णय दिनांक 18.07.23 के तहत मौजा मोतीनाथपुरा की भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 16.08.23 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट्स की अपील दिनांक 12.09.23 दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय वकील उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलांट्स द्वारा अपनी अपील के समर्थन में तहसीलदार खींवसर के निर्णय दिनांक 18.07.2023 की फोटोप्रति, मौका रिपोर्ट की फोटोप्रति, नक्शे की फोटोप्रति, न्यायालय अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश नागौर के निर्णय दिनांक 17.12.18 की फोटोप्रति, ग्राम मोतीनाथपुरा की जमाबंदी सम्वत् 2077 की फोटोप्रति पेश की।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट्स ने अपनी बहस में बताया कि–

{2}(I)– अपीलाधीन निर्णय अवैध, अनाधिकृत, विधि विरूद्व, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत तथा बिना अधिकार के होने से अपास्त योग्य है।

{2}(II)– अपीलांट्स ग्राम मोतीनाथपुरा के खसरा संख्या 186 रास्ते की भूमि पर अतिक्रमी नहीं है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने ख.न. 3127/200 की भूमि को रास्ता भूमि होना गलत बताया है। ख.न. 3127/200 की भूमि रास्ता भमि नहीं है।

{2}(III)– अपीलांट्स के खातेदारी कब्जे की भूमि खसरा संख्या 200 के बाहर पश्चिम तरफ कटाणी रास्ता खसरा संख्या 186 चलता है। आज से लगभग 11 साल पहले खसरा संख्या 186 कटाण रास्ते पर सडक निर्माण कार्य की स्वीकृति हुई थी। खसरा संख्या 200 के दक्षिणी पश्चिमी केने तथा खसरा संख्या 186 की भूमि पर विद्यालय भवन का निर्माण कराया गया था इसलिए ख.न. 186 पर स्कूल भवन का निर्माण हो जाने से 11 साल पहले सडक निर्माण अपीलांट्स के खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 200 में सडक बनाने की धमकी देने पर अपीलांट्स व अपीलांट्स के पिता ने दीवानी वाद सिविल न्यायालय नागौर में पेश किया जिसके वाद संख्या 38/13 (53/12) है। इस वाद में दिनांक 17.12.18 को न्यायालय द्वारा अपीलांट्स का वाद स्वीकार करते हुए निर्णय पारित किया कि राज्य सरकार कटाणी रास्ते ख.न. 186 पर ही सडक का निर्माण करे तथा अपीलांट्स की भूमि ख.न. 200 मे सडक निर्माण नहीं करने तथा किसी अन्य से नहीं कराने की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की थी इस निर्णय के विरूद्व किसी प्रकार की अपील राज्य सरकार द्वारा नहीं की गई तथा यह निर्णय अन्तिम हो गया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस निर्णय पर किसी प्रकार का गौर किये बगैर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित किया जो अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(IV)–लगभग छः महीने पहले राज्य सरकार ने ग्राम मोतीनाथपुरा के ख.न. 186 कटाणा रास्ते पर सडक निर्माण का कार्य सार्वज़निक निर्माण विभाग के माध्यम से शुरू कराया था जिस पर रास्ते पर विद्यालय भवन बना होने से अपीलांट्स की भूमि खसरा संख्या 200 में सडक निर्माण शुरू करने पर अपीलांट्स ने तहसीलदार पटवारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों के विरूद्व सिविल न्यायालय में अवमानना आवेदन पेश किया जिस कारण ये सभी अपीलांट्स से सख्त नाराज़ हो गये तथा पटवारी व तहसीलदार ने मौके पर फर्जी, झूठी गलत रिपोर्ट तैयार कर अपीलांट्स के खातेदारी की भूमि ख.न. 200 में सडक निर्माण अवैध व नाजायज रूप से बनाई जा सके तथा अपीलांट्स इस गलत सडक का निर्माण करते वक्त विरोध नहीं करे ऐसा अपीलांट्स पर दबाव बनाने हेतु भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 की झूठी कार्यवाही शुरू कर बेबुनियाद आधारों पर अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जो विधि विरूद्व होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(V)–अपीलांट्स द्वारा दीवानी वाद संख्या 38/13 में तहसीलदार खींवसर से मौका रिपोर्ट मंगाई गई थी जिन्होने नाप चौप कर नक्शा मौका व मौका रिपोर्ट भेजी जिसमें ख.न. 186 रास्ते की भूमि पर विद्यालय भवन का हिस्सा बना होना बताया था तथा अपीलांट्स का कोई अतिक्रमण नहीं बनाया गया था लेकिन पटवारी द्वारा अभी नई रिपोर्ट फर्जी व झूठी तैयार की गई जिसमें विद्यालय भवन को रास्ते की भूमि पर नही बताकर अपीलांट्स का कब्जा रास्ता भूमि पर गलत बताया गया। पटवारी की रिपोर्ट अपीलांट्स की गैर मौजूदगी में तैयार की गई थी तथा मौके के विपरित तैयार की हुई रिपोर्ट थी मगर इन सब तथ्यों को नजरअन्दाज करके अपीलाधीन निर्णय पारित करने में तहसीलदार खींवसर ने कानूनी गलती की है।

अपर कलक्टर, नागौर

{2}(VI)– अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा संख्या 3127/200 को रास्ते की भूमि होना अपने निर्णय में गलत दर्ज किया है तथा इस भूमि पर अपीलांट्स द्वारा टांका बनाकर अतिक्रमण करना भी अधीनस्थ न्यायालय ने गलत बतया है। खसरा संख्या 3127/200 गैर मुमकिन टांका है जो अपीलांट्स द्वारा अपने खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 200 में से राज्य सरकार के हक में अपीलांट्स द्वारा समर्पित की हुई भूमि है जिस पर टांका बना है। 3127/200 कभी भी रास्ते की भूमि नहीं थी न है। टांका 3127/200 अपीलांट्स के खातेदारी की भूमि की सीमा में बनाया हुआ टांका है, किसी रास्ते की भूमि पर बना टांका नही है मगर अधीनस्थ न्यायालय ने इन सब तथ्यों व दस्तावेजों को नजरअन्दाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित करने मे कानूनी त्रुटि की है और इस अवैध निर्णय की आड में रेस्पोडेंट अपीलांट्स को उनके खातेदारी की भूमि ख.न. 200 की 6 बिस्वा भूमि पर से बेदखल करना चाहते है।

{2}(VII)– अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स को साक्ष्य सबूत गवाह पेश करने का अवसर नहीं दिया तथा न ही पटवारी बयान के लिए उपस्थित हुआ जिस कारण से अवीलांट्स को पटवारी से जिरह करने का अवसर ही मिला। बिना किसी साक्ष्य सबूत के अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है तथा साथ के साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरित अपीलांधीन निर्णय होने से अपास्त योग्य है।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट्स द्वारा मौजा सिरासना में स्थित गै. मु. रास्ता व टांका पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट्स को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलांट्स को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अपीलान्ट्स ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, खींवसर द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत मौजा मोतीनाथपुरा के प्रकरण संख्या 01/2023 सरकार बनाम खेताराम निर्णय दिनांक 18.07.2023, से असंतुष्ट होकर अपील पेश की। पत्रावली पर मनन एवं उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्य के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत न्यायालय अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश नागौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.12.2018 एवं हल्का पटवारी द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट दिनांक 01.06.2012 पर विचार नहीं किया है और न ही अपने निर्णय में इसका उल्लेख किया है। अधीनस्थ ट्रायल न्यायालय का यह दायित्व था कि वह पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य/दस्तावेजों का अवलोकन करते एवं उभयपक्षों को समुचित सुनवाई कर विवाद के बिन्दु पर विवेचनात्मक निर्णय पारित करते। पटवारी की मौका रिपोर्ट अपीलांट्स की अनुपस्थिति मे तैयार की जाना प्रतीत होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स के शहादत, सबूत से अनदेखा कर आदेश पारित किया जाना प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति मे आदेश जैर अपील अपीलांट्स की पर्याप्त सुनवाई के अभाव मे इकतरफा पारित हुआ है, इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट्स की अपील स्वीकार कर तहसीलदार डेगाना द्वारा मौजा मोतीनाथपुरा के प्रकरण संख्या 01/2023 सरकार बनाम खेताराम व अन्य निर्णय दिनांक 18.07.2023 अपास्त किया जाता है। मामला अधीनस्थ न्यायालय को पुनःप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि एक माह में अपीलांट्स की उपस्थिति मे मौका निरीक्षण कर अपीलांट्स को पर्याप्त सबूत, शहादत व सुनवाई का अवसर देते हुए गुणावगुण पर आदेश पारित करे।

{6}– निर्णय आज दिनांक 14.02.24 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(अशोक कुमार योगी)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर